Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में नगर विकास न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज सोमवार को अलवर में कार्यवाही करते हुये नगर विकास न्यास, अलवर के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) नवीन कुमार दुआ को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभिन्न निर्माण कार्यों के पैण्डिग बिलों को पास करवाने की एवज में नगर विकास न्यास, अलवर के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) नवीन कुमार दुआ द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं उनकी टीम के द्वारा अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **नवीन कुमार दुआ** पुत्र श्री नत्थी लाल निवासी पायल मैरिज होम के सामने, दिल्ली रोड, रामगढ़ अलवर हाल **कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) नगर विकास न्यास, अलवर** को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।